



## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे मे जानकारी भाग-9 भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन सुविधा

(2)

(3)

आप अपना मोबाइल no की मदद से लॉगिन करें (अगर नए user है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा "ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें" पर क्लिक करें। अपना जिला, अंचल चुन कर "नया LPC आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें। फिर अपने जमाबंदी का हलका, मौज़ा तथा जमाबंदी से संबन्धित किसी एक विकल्प यथा भाग संख्या- पृष्ठ संख्या, खाता, खेसरा, नाम, जमाबंदी संख्या को भर कर "Search" बटन पर क्लिक करें।

जमाबंदी में लगान अद्यतन होने की स्थिति में "apply for LPC" बटन पर क्लिक करें। लगान अद्यतन नहीं होने की स्थिति में पहले ऑनलाइन लगान का भुगतान करें।

<u>https://biharbhumi.bihar.gov.in/</u> को खोलें तथा "ऑनलाइन

एलपीसी आवेदन करें" पर क्लिक करें।

5

अब आवेदक से संबन्धित विवरण यथा नाम, पता तथा LPC आवेदन का उद्देश्य को भरें तथा LPC हेतु आवश्यक स्व-घोषणा पत्र के साथ कोई अन्य साक्ष्य हो तो उसकी एक PDF अपलोड करें तथा "Save & Next" पर क्लिक करें। आपको आपके आवेदन का preview दिखाई देगा, सबकुछ सही होने पर "Final Submit" का बटन दबाएँ। आपको आवेदन की पावती प्राप्त होगी। जमाबंदी की सूची दिखाई देगी। अब जिस जमाबंदी का भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है उसके आगे दिये ''चयन करें'' पर क्लिक करें। अब आपको जमाबंदी की पूरी विवरणी दिखाई देगी।

भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति देखने हेतु रैयत <u>https://biharbhumi.bihar.gov.in/</u> को खोलें तथा "LPC आवेदन स्थिति देखें" पर क्लिक कर अपना आवेदन संख्या/ वर्ष चुन कर Search बटन पर क्लिक करें। आपके आवेदन की स्थिति दिखाई देगी, स्वीकृति की स्थिति में रैयत अपना भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।